कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर (म0प्र0)

—: परिपत्र :—

क्रमांक 2 अशोकनगर, दि. 20-2-26

प्रायः देखने में आया है कि जिला मुख्यालय अशोकनगर/तहसील न्यायालय चंदेरी/मुंगावली/ईसागढ़ के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं एवं **FRS** मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तथा निर्धारित समय पूर्व ही अपने कर्तव्य से चले जाते है, जो कि अनुचित है। इस संबंध में परिपत्र कमांक 20 दिनांक 11.03.2025 के माध्यम से भी पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगणों को पुनः निर्देशित किया जाता है प्रातः 10:30 बजे से पूर्व अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर **FRS** मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे तथा न्यायालय समय पश्चात् अपने पीठासीन/प्रभारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर मध्यान्ह पश्चात् 05:30 बजे के उपरांत **FRS** मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उपरांत ही अपने कर्तव्य स्थल से प्रस्थान करेंगे। अपालन की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
For अशोकनगर म0प्र0

पृ0क्रमांक 508 अशोकनगर दिनांक 20-2-26

प्रतिलिपि:—

01. समस्त पीठासीन/प्रभारी अधिकारी, जिला न्यायालय, अशोकनगर तहसील न्यायालय मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालानार्थ प्रेषित।
02. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट अशोकनगर की ओर जिला न्यायालय अशोकनगर की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
04. समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03. लेखापाल/आवक जावक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
For अशोकनगर म0प्र0